

2025/672

श्री 01
15.9.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रमाकान्त बनाम अनिरुद्ध आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,251क आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 465 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
19.08.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.09.2025 को पेश हो।	
26/8/25	वकील प्रतिवादी द्वारा पत्रिका पत्र मिसल पेश करने पर पत्रिका को पत्रिका में लिमिटाड वरुबाए फर्किट उपस्थित। प्रतिवादी (पं. 1) का के जतिमे वकील श्री. शरण कर्मा उपस्थित है और अफकाल (जकाब ड. का) पेश किया। जकाब एंडे पेश हुआ। पत्रावली वाले सख्त दावे के बाद 04/9/2025 को पेश।	
04.9.2025	<p>कलक्टर उपखण्ड रावतसर/PU माह 2025</p> <p>पत्रावली वरुबाए</p> <p>दिनांक 15.9.2025</p> <p>पेश के</p>	
15.9.2025	<p>कलक्टर फर्किट उपस्थित। सख्त को अफकाल नही चाहते हैं। प्रहस मुनी गरी। पत्रावली का अफकाल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट करि व वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वकील डिब्री किया जाता है। इस रिपोर्ट सहित रिपोर्ट अलग से लिखा जाकर शामिल करके किया जाके पत्रावली गारर के काम की जाकर वाद लकी कलक्टर जाकर फाजिल पकहा हो।</p>	